

1



दूरभाष :0771-2974352, 2974353

ई-मेल : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in



2021

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़

DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH

"जनगणना भवन", प्लॉट नंबर-10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर- 492018
"Janganana Bhawan", Plot No. 10, Sector-24, Jhanjh, Nawa Raipur, Atal Nagar-492018

डी-26018/1/2020-डीसीओ(छ.ग.)/ 486

दिनांक- 15/12/21

सूचना सं.26018/1/2020-डीसीओ(छ.ग.)

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ "जनगणना भवन" प्लॉट नं.10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर-492018 में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 02 वाहन किराये से लेने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।

उक्त निविदा हेतु प्रतिष्ठित एजेंसी/फर्म से दो निविदा प्रणाली (Two Bid System) (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) के अंतर्गत आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है । इच्छुक एजेंसी/फर्म अपनी तकनीकी तथा वित्तीय निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ऑनलाईन वेबसाइट <http://www//eprocure.gov.in> पर दिनांक 05.01.2022 को शाम 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं ।

नियम व शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियों आदि का विस्तृत विवरण/जानकारी के लिये ई-निविदा में भाग लेने के लिये <http://www//eprocure.gov.in/tender> में अवलोकन करें ।

<http://www//eprocure.gov.in> पोर्टल से ही प्रस्तुत ई-निविदा स्वीकार की जावेगी । इसके अतिरिक्त अन्य कोई पोर्टल से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, "जनगणना भवन" प्लॉट नं.10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर-492018 से कार्यालयीन दिवस में सम्पर्क की जा सकती है ।

संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख



स्वच्छता देवभक्ति तुल्य है, अपने आस-पास को स्वच्छ रखें
Cleanliness is next to Godliness, Keep your surroundings clean



2



दूरभाष : 0771-2974352, 2974353

ई-मेल : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़

DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH

"जनगणना भवन", प्लॉट नंबर-10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर- 492018

"Janganana Bhawan", Plot No. 10, Sector-24, Jhanjh, Nawa Raipur, Atal Nagar- 492018

डी - 26018/1/2020 -डीसीओ (ए.ग.)/484

दिनांक- 15/12/2021

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

विवरण निम्नानुसार है-

निविदा संख्या	D-26018/1/2020-DCO(CG)
कार्य का नाम	जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ "जनगणना भवन" प्लॉट नं.10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर-492018 में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 02 वाहन किराये से लेने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा का प्रकार	दो निविदा प्रणाली (Two Bid System) 1. तकनीकी निविदा (Technical Bid) 2. वित्तीय निविदा (Financial Bid)
प्रकाशन की तिथि	15.12.2021(6:00 PM)
निविदा डाउनलोड करने की तिथि	15.12.2021(6:00 PM)
निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	16.12.2021 (10.00 AM)
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.01.2022 (05.00 PM)
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	07.01.2022 (11:00 AM)
सुरक्षा राशि (EMD)	रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख



दूरभाष :0771-2974352, 2974353

ई-मेल : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in



2021

DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH

"जनगणना भवन", प्लॉट नंबर-10, सेक्टर 24, झांझ, नवा रायपुर अटल नगर- 492018
"Janganana Bhawan", Plot No. 10, Sector-24, Jhanjh, Nawa Raipur, Atal Nagar- 492018

डी-26018/1/2020-डीसीओ(छ.ग.)/487

दिनांक- 15/12/21

// निविदा आमंत्रण //

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, "जनगणना भवन", प्लॉट नं.10, सेक्टर 24, झांझ नवा रायपुर अटल नगर-492018 स्थित कार्यालय हेतु पंजीकृत फर्म से मासिक आधार पर निम्नानुसार 2 वाहन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है ।

विवरण निम्नानुसार है-

क्र	विवरण	वाहन संख्या	दर नियम
1	Maruti Suzuki Dzire	02	किराया मासिक दर (GST सहित) (अधिकतम 3000 किलोमीटर प्रति माह और 3000 किलोमीटर चलने के उपरांत प्रति किलोमीटर न्यूनतम दर (GST सहित)

निविदा द्विबोली (Two Bid Systems) में (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित है ।

तकनीकी बोली हेतु निम्नांकित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है-

1. फर्म / एजेंसी पंजीकृत होना चाहिये ।
2. PAN नम्बर ।
3. GST Registration No.
4. अंतिम तीन वर्षों का Annual Turnover की प्रति ।
5. पूर्ण पता ऑफिस एवं निवास (दूरभाष/मोबाईल एवं ई-मेल सहित)
6. EMD ।
7. कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव ।
8. Acceptance letter of Terms and Conditions (नियम एवं शर्तों कि स्वीकृति पत्र)
9. अन्य दस्तावेज यदि हो ।

तकनीकी बोली का मूल्यांकन (Evaluation) उपरांत, दिये गये शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही, वित्तीय बोली खोला जावेगा ।

वित्तीय बोली (Financial Bid)-

1. BOQ में Monthly Basic दर के आधार पर L1 दर निर्धारित किया जावेगा ।
2. BOQ में सभी दर को दर्ज करना अनिवार्य है ।

AWARD OF CONTRACT-

Bid मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात L1 Bidder को Letter of Award (LoA) प्रदाय की जावेगी ।

शर्तें -

1. प्रतिमाह किराया दर में वाहन 3000 किलोमीटर चलित दूरी सम्मिलित है। जिसमें ईंधन फर्म द्वारा देय होगा ।
2. 3000 किलोमीटर चलने के उपरांत प्रति किलोमीटर न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा ।
3. फर्म/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सबसे कम L1 दर स्वीकार योग्य रहेगा ।
4. वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिये । नये वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी । वाहन डेट ऑफ अवॉर्ड से 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये ।
5. वाहन चालक निदेशालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही कार्य पर उपस्थित होगा ।
6. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा ।
7. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा । वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा । वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा अद्यतन होना चाहिये । वाहन में Fast Tag लगा होना अनिवार्य है। **Fast Tag में किसी भी समय न्यूनतम बैलेंस राशि रु. 1000/- से कम नहीं होना चाहिए ।**
8. टोल शुल्क/ फास्ट टैग, प्रवेश शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
9. वाहन कार्यालय में संलग्न करने के पूर्व संलग्न किये जा रहे वाहन के समस्त दस्तावेजों यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि की सत्यापित कापी कार्यालय में जमा किया जाना होगा ।
10. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित फर्म द्वारा देय होगा । वाहन चालक को श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ के दैनिक न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं करना है। फर्म के द्वारा ड्राइवर को हर माह 10 तारीख तक **भुगतान कर पावती के साथ कार्यालय को सूचित करना होगा।**
11. वाहन मुख्यालय से बाहर जाने पर ड्राइवर का दैनिक भत्ता (लाजिंग/बोर्डिंग) का व्यय फर्म द्वारा वहन किया जावेगा जो कि **राशि रु. 500/- से कम नहीं हो।**
12. उक्त निविदा में भाग लेने वाले फर्म/एजेंसी को किसी भी शासकीय अथवा निजी संस्थान द्वारा Black List नहीं किये जाने तथा किसी प्रकार के लंबित आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना तथा अन्य में दर्ज नहीं होने संबंधी एकल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
13. यदि किन्हीं कारणों से ड्राइवर/स्टाफ//अन्य कि वाहन की दुर्घटना के दौरान चोट/हानि होती है, तो समस्त व्यय/क्षतिपूर्ति (अवकाश/ चिकित्सा आदि अन्य व्यय) का वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन करना होगा । वाहन एवं चालक के दुर्घटना का इन्श्योरेन्स वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
14. यदि वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक का कार्य के दौरान गुटखा, तंबाखु, धूम्रपान, ड्रग्स, मदिरा पान एवं अन्य अनियमित कार्य करते हुये पाये जाने पर निविदा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।





स्वच्छता देवभक्ति तुल्य है, अपने आस-पास को स्वच्छ रखें

 स्वच्छ भारत

15. वाहन चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है एवं उक्त वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का व्यवहार सही नहीं होने पर एक दिन के अंदर दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था फर्म/एजेंसी के द्वारा किया जाना होगा।
16. वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थ होने पर संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था यथाशीघ्र (Same day) करना होगा।
17. ईंधन, वाहन की मरम्मत, रख-रखाव किसी प्रकार की दुर्घटना एवं समस्त अन्य खर्च संबंधित फर्म द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव हेतु तथा फर्म द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में फर्म द्वारा उसी प्रकार की दूसरी वाहन अथवा उससे उच्च श्रेणी का वाहन की व्यवस्था एक घण्टे के अंदर करनी होगी।
18. किसी भी प्रकार का एडवांस निदेशालय द्वारा देय नहीं होगा। माह पूर्ण होने के पश्चात बिल/इन्वाइस प्रस्तुत करने के बाद भुगतान देय होगा।
19. निदेशालय को वाहन निदेशालय में अथवा संबंधित अधिकारी के आवास पर रखने का अधिकार होगा।
20. किराये पर लिये गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।
21. वाहन की लॉग बुक/कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
22. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन हटा दिया जावेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा तथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण विभाग के नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
24. वाहन आपूर्ति की तिथि से निर्धारित दर आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।
25. L1 Bidder से अनुबंध करते समय एक वर्ष के लिये अनुबंधित कुल राशि का 5 प्रतिशत बतौर निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security) देना होगा। Performance Security किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी DD/FDR/बैंकर्स चेक जो कि निदेशक, डीसीओ छत्तीसगढ़ रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से देय होगा जसकी वैधता 01 वर्ष हो। परफॉरमेंस सिक्युरिटी प्राप्त होने के बाद EMD वापस किया जावेगा।
26. ईंधन के दर में किसी भी तरह के परिवर्तन होने पर भी निर्धारित दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
27. वाहन में ईंधन किसी भी स्थान पर भरवाया जा सकेगा, न कि किसी निर्धारित स्थान पर। मुख्यालय से बाहर जाने पर वाहन में ईंधन की पूरी व्यवस्था के साथ ड्राइवर को भेजना होगा।
28. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संबंधित विभाग का होगा।
29. यदि नियमित रूप से चलने वाली गाड़ी किसी कारण से अनुपलब्ध हो तो फर्म/एजेंसी के द्वारा इसी श्रेणी का वाहन शीघ्र उपलब्ध करवाना होगा।
30. विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 7 दिन पूर्व सूचना देकर बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा अथवा सेवा में विलम्ब/चूक होने पर नियमानुसार पेनाल्टी लगायी जाएगी।



31. यह अनुबंध 01 वर्ष के लिए मान्य है परंतु किसी शासकीय कारणवश किसी भी समय सेवा खंडित किया जा सकता है और खंडित काल अवधि का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
32. किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की समस्त भरपाई का उत्तरदायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता का होगा।
33. वाहन लगाते समय वाहन पर किसी भी प्रकार का प्रकरण(case) दर्ज नहीं होना चाहिए।
34. समस्त विवादों का एकमात्र न्यायिक क्षेत्र रायपुर होगा।

सामान्य निर्देश-

1. निविदा दस्तावेज तैयार करते समय त्रुटियों से बचने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं जिसके बावजूद बोलीदाताओं को निविदा जमा करने के पहले इसकी जांच करने तथा स्पष्टीकरण की सलाह दी जाती है।
2. निविदा दस्तावेज द्विबोली प्रणाली में ऑनलाईन जमा की जावेगी 1. तकनीकी बोली तथा 2. वित्तीय बोली। तकनीकी बोली में सभी आवश्यक जानकारियां (कागजात) शामिल होनी चाहिये तथा उसे तकनीकी बोली नामक फोल्डर में रखा जाना चाहिये। वित्तीय बोली में दर प्रस्तुत कर वित्तीय बोली नाम फोल्डर में रखा जाना चाहिये।
3. राशि ₹. 25,000/- (₹. पच्चीस हजार मात्र) का सुरक्षा राशि (EMD) DD/FDR/बैंकर्स चेक Offline कार्यालय के निविदा बाक्स में जमा करना होगा। सुरक्षा राशि (EMD) DD/FDR/बैंकर्स चेक हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डीसीओ छत्तीसगढ़ रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा "रायपुर" में देय होगा। उक्त सुरक्षा राशि (EMD) संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ को दिनांक 05.01.2022 को अपराह्न 5.00 बजे से पहले भौतिक रूप से सीलबंद लिफाफे में निदेशालय के निविदा बाँक्स में जमा किया जाना चाहिये तथा इस लिफाफे के ऊपर जनगणना कार्य निदेशालय में "वाहन किराये से लेने हेतु" लिखा होना चाहिये। इस सुरक्षा राशि (EMD) का स्कैन कॉपी निविदा के समय अपलोड करे।
4. आवश्यकता पड़ने पर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले निविदा में उल्लेखित शर्तों में आवश्यक संशोधन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का पूर्ण अधिकार निदेशालय को होगा।
5. यदि किसी भी स्तर पर पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा दी गई जानकारियां गलत पाई गई तो सुरक्षा राशि (EMD) राजसात कर ली जावेगी तथा फर्म को निविदा प्रक्रिया से हटा दिया जावेगा।
6. निविदा की वैधता अनुबंध स्थापित की तारीख से 365 दिनों के लिये होगी।
7. यदि दोनों पार्टी सहमत हो तो अनुबंध अवधि को अगले 365 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।



(डी.गिरि)

संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. हिन्दी अनुभाग



Validate

Print

Help

" BoQ"

Tender Inviting Authority: DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

Name of Work: HIRING OF VEHICLE

Contract No: D-26018/1/2020-DCO(CG)

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :							
PRICE SCHEDULE (DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY) (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)							
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Monthly BASIC RATE (With GST)(per vehicle) In Figures To be entered (for 3000 kms) by the Bidder in Rs. P	Beyond first 3000 kms minimum Rate per km (per vehicle) (with GST) in INR Rs. P	TOTAL AMOUNT col (3) x col (5)in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maruti Suzuki Dzire	2	Nos			0.00	INR Zero Only
Total in Figures						0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only					